

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1771 / 2021

दिनांक : 04.09.2021

इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश दिनांक 16.08.2021 से 17.08.2021 की निरन्तरता में श्रीमती रेशमा खान (RJ0727), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-01, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II को दिनांक 18.08.2021 से 13.02.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) स्वीकृत किया जाता है।

श्री कृष्ण मुरारी जिन्दल (RJ0659), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-02, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II को श्रीमती रेशमा खान के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-01, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री कृष्ण मुरारी जिन्दल (RJ0659), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-01, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

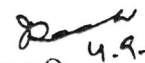
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 04.09.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/10/2013/5570

दिनांक 04.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 3123 दिनांक 26.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेशमा खान (RJ0727), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-01, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-01, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II।
5. श्री कृष्ण मुरारी जिन्दल (RJ0659), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-02, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-02, (विशिष्ट न्यायालय), ज.वि.प्रा., जयपुर महानगर-II।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार 4.9.2021